



झारखण्ड सरकार
जनर विकास विभाग

आधिसूचना

राज्या-६ / नववि० / विविध / १४१ / २०१२..... श्री, दिनांक—
झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, २०११ के अध्याय-४६ सह परित धारा-६०० द्वारा दिया गया इस अधिनियम-२०११ के अध्याय-४६ के उक्त आदानियम की धारा-१६६ (१) का शर्वितयों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त आदानियम की धारा-१६६ (१) का अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के शहरी क्षेत्रों में धर्मशाला, विवाह मनन आदि के व्यवस्थाएँ रूप से निर्माण, संरचना एवं नियंत्रण के लिए "झारखण्ड शहरी क्षेत्र धर्मशाला, विवाह मनन (Marriage Hall) / बैनेट हॉल (Banquet Hall), लौज एवं होस्टल निर्माण आदि अनुज्ञित नियमावली, २०१३" अधिसूचित करते हैं। यह नियमावली १ली अप्रैल, २०१३ के प्रभाव से लागू होगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदान से।

हो/-

(डॉ० नितिन कुलकर्णी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापाक-५ / नववि० / विविध / १४१ / २०१२..... रौची, दिनांक—
प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौची को शानार्थ एवं राजकीय नाम से आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रकाशनोपरान्त आधिसूचना की २५० प्रतियों विभाग ने उपलब्ध कराया जाय।

हो/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक-५ / नववि० / विविध / १४१ / २०१२..... रौची, दिनांक—
प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रौची / महामहिम राज्यपाल के सचिव कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं नियन्त्रण पदाधिकारी शहरी राज्य निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-

सरकार के सचिव।

ज्ञापाक-६ / नववि० / विविध / १४१ / २०१२..... रौची, दिनांक—
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, झारखण्ड, रौची / महालेखाकार, झारखण्ड, रौची / सभी विभाग
झारखण्ड / सभी संबंधित प्रान्तिकीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी संबंधित उपायुक्त, झारखण्ड / सभी
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं नियन्त्रण पदाधिकारी शहरी राज्य निकाय, झारखण्ड को सूचनार्थ पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

(6) (P.W)

झारखण्ड शहरी क्षेत्र "धर्मशाला" विवाह भवन (Marriage Hall) / बैंकेट हॉल (Banquet Hall), लौंज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञाप्ति नियमावली, 2013

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-155 (1) ने नं। नि. 590 में प्रदत्त चौथे का विवाह करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निम्नलिखित नियम जारी हैं—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- (अ) यह 'नागरिकों झारखण्ड शहरी क्षेत्र "धर्मशाला" विवाह भवन, बैंकेट हॉल (Banquet Hall), लौंज एवं हॉस्टल निर्माण और अनुज्ञाप्ति नियमावली, 2013' द्वारा योगी।
(ब) यह झारखण्ड राज्य के राजी शहरी रथानीय निकाय क्षेत्रों पर विद्युत जनतिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिमाणः—जबतक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इसे नियमावली में—

- (क) "अधिनियम" से अभिप्राय है— झारखण्ड नगरपालिका आधीन (पर 2011)
(ख) "विभाग" से अभिप्राय है— नगर पिकास विभाग, झारखण्ड, ("कार")
(ग) "नगर निकाय" से अभिप्राय है— झारखण्ड राज्य के राजी शहरी रथानीय निकाय।
(घ) "अनुज्ञाप्ति पदाधिकारी" से अभिप्राय है— नगर निकाय के मुख्य कार्यपालिन् पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी।
(ङ) "मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी / नगर आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विशेष पदाधिकारी" से अभिप्राय है— झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-55(1) में विहित प्रावधानों के अधीन राज्य द्वारा द्वारा नियम पदाधिकारी।
(च) "तीतीय वर्ष" का अभिप्राय है— 'पहली अप्रैल से मार्च की' [तीतीय वर्ष]।
(छ) "धर्मशाला" से अभिप्राय है— ऐसा भवन जो सार्वजनिक गृह से परिवारों के लिये उपयोग से विभिन्न है एवं किसी व्यक्ति अथवा घरेला को नियन्त्रण पर रहने या सामाजिक क्रिया-कलाप के लिए दिये जाते हैं।
(ज) "विवाह भवन (Marriage Hall) / बैंकेट हॉल (Banquet Hall)" से अभिप्राय है— ऐसा भवन या जगह जो सार्वजनिक रूप से सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों यथा— शादी, जन्मदिन अथवा अन्य समारोह आयोजित करना। एवं दावत भोजन बेलक इत्यादि कार्यों के लिये किसी व्यक्ति एवं सरथा को उपराये पर विद्युत जावे।

- (इ) "हाउल" से अभिप्रेत है—ऐसा भवन या जगह जहाँ गोपनीय आवास—पुण्ड दावत होल विवाह होल, रेस्टोरेन्ट आ कोई दूसरा होल या गलब या रोराइडी। जिसमें पुण्ड परिसर/गवाव या कोटि—साई, जो खुला या कंकाली हो और उसका (हाउल में या अस्था) भी सम्मिलित है, जहाँ किसी व्यक्ति को भाजने पर वामाल्य या विलासिता युक्त आवासीय सुविधा किसाये परने आ जाता है।
- (ब) "लॉज" से अभिप्रेत है—ऐसा भवन, जिसका पूर्णतः या अशुद्ध भाष्य में अस्थायी रूप से आवासीय सुविधा किसाये पर दिया जाता है।
- (च) "हॉस्टल" से अभिप्रेत है—ऐसा भवन, जिसका आवास विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा किसाये पर अपलब्ध कराये जाते हैं।
3. धर्मशाला, विवाह भवन/वैवेट होल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल जिसमें विवाहकर्ता वानको ध्यान में रखा जायगा—
- पर्याप्त जगह,
 - विजली एवं प्रकाश की समुचित एवं सुरक्षित व्यवस्था,
 - अनुमति की व्यवस्था,
 - आगशमन सुरक्षा,
 - पवान और निकास की समुचित व्यवस्था,
 - आकरिगक्ता की स्थिति से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था,
 - पाकेंग की व्यवस्था,
 - छोटा अपशिष्ट प्रबधन की व्यवस्था,
 - स्त्री एवं पुरुष के लिए शोचालय की व्यवस्था,
 - गाजा बगाने की सुविधा उपलब्ध रहने की स्थिति में घुणा निकाय एवं प्रदूषण नियन्त्रण की समुचित व्यवस्था।
4. धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/वैवेट होल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल के नियान की प्रतिक्रिया—
- धर्मशाला, विवाह भवन/वैवेट होल (Banquet Hall), लॉज एवं हॉस्टल जिसमें की अनुमति हेतु सवालक द्वारा संबंधित नंगर निकाय के पुख्ता कार्यपालक पत्रधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/नगर पदाधिकारी का रायका गूम के स्वामित्व संबंधी अभिलेख सहित भवग नाम के साथ भाष्य प्रस्तुत करना होगा।

- (xv) पात्र सभी आवेदन पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नगर आयुक्त, कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अधिकारी न नगर निकाय के लकड़ीका एवं रथाख्या शाखा के वर्षीय महाधिकारी के साथ गठित समिति हाथ विचार किया जायगा।
- (xvi) यापति द्वाय नियम-३ में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप लालकर पात्र जान पर सर्वधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा लोक आपति प्राप्ति नियम जायगा। लोक आपति नगर निकाय के सूचना-पट्ट एवं स्थानीय देविक समिति पन्ना में प्रकाशित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राप्त किया जायगा। निर्धारित यापति जाना में प्राप्त आपतियों के सन्दर्भ में पुनः समिति ने बढ़कर में विचार किया जायगा।
- (xvii) यापति के विचारणप्रसंस्त उपयुक्त पात्र जाने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी के रहर से गवा अपार्टमेंट (Apartment by-laws) के ग्रावधानों के अनुरूप नियम करने की अनुमति प्रदान की जायगी।
- (xviii) धर्मशाला, विवाह घरन (Marriage Hall)/बैनकेट हॉल (Banquet Hall), लौज एवं होस्टल जै डीरेख्युल साला के नगर निकाय सेवा-तंत्रज्ञ नियम-५ अनुसार प्राप्त कर नियमित किये गये हो अथवा इस नियमावली के प्रभावी हानि के पूर्व से नियमित हानि के उपयाग के पूर्ण सर्वधित नगर निकायों द्वारा अनुज्ञाप्ति एक नई के लिए नियमित किया जायगा।
- (xix) शहरी रथालोय कान्त वर्षो सभी होटल, जहाँ धार्मिक एवं सामाजिक शिविरियों के अनुसार शादी एवं अन्य समारोहों के लिए विवाह घरन (Marriage Hall)/बैनकेट हॉल (Banquet Hall) की सुविधा उपलब्ध है, को उक्त विवाह घरन/बैनकेट हॉल (Banquet Hall) के लिए सर्वधित नगर निकायों द्वारा अनुज्ञाप्ति एक नई के लिए नियमित किया जायगा।
- (i) धर्मशाला, विवाह घरन (Marriage Hall)/बैनकेट हॉल (Banquet Hall), लौज एवं होस्टल के अनुज्ञाप्ति की प्रक्रिया—
- (a) नियम-५ के अधीन नियमित धर्मशाला, विवाह घरन/बैनकेट हॉल (Banquet Hall), लौज एवं होस्टल के अनुज्ञाप्ति की प्रक्रिया—

- (ख) प्राप्त आवेदन पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी नगर निकाय में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से नियम-3 में निहित शब्द के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुज्ञाप्त हेतु विचार किया जायगा।
- (घ) समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञाप्त की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी की जायेगी।
- (इ) इस वियावली के प्रामाणी होने की तिथि के पूर्व से 15 दिन समेत धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंकेट हॉल (Banquet Hall), लॉज़ एवं हॉस्टल के अनुज्ञाप्त की प्रक्रिया—
- (क) पूर्व से निर्मित धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैंकेट हॉल (Banquet Hall), लॉज़ एवं हॉस्टल के अनुज्ञाप्ति तिथि समेत संबंधित नगर निकाय के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को नगर निकाय द्वारा निर्धारित प्रपत्र द्वारा आवेदन देगा।
- (ख) प्राप्त आवेदन पत्र पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी नगर निकाय में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञों से नियम-3 में निहित शब्द के संबंध में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करेगा।
- (ग) जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा लोक आपत्ति प्राप्त केसों जायेगा। लोक आपत्ति नगर निकाय के साथ एवं स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कर पन्द्रह दिनों के अन्दर प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित समय-सीमा में प्राप्त आपत्तियों के संतर्भ में गम्भीर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी विवाह पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को नड़क आयोजित कर समूर्ण बायम्ले पर विचार किया जायेगा।
- (घ) समिति की अनुशंसा प्राप्त कर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञाप्त की कार्रवाई एक माह के भीतर पूरी की जायेगी।

वनुज्ञाति एवं नवीकरण के वार्षिक शुल्क नियम दर से गवर्नर गवर्नरें / राज्यों / प्रभुता भूमियों से लाभान्वयन के लिए होगा जो निकायों की ओर के आधा पर नियमित होगा।

क्रम	गवर्नर का प्रकार	निर्मित क्षेत्र (Built up area)	अनुज्ञाति का व्यूनता वार्षिक शुल्क (₹ में)		
			नगर निगम	नगर पारिषद	नगर पान्डित
1	विवाह भवन	5000 वर्गफीट तक	1,000/-	800	500
		5001 वर्गफीट से ऊपर	1,500/-	1,000	750
2	प्राप्ति भूमि (Banquet Hall)	5000 वर्गफीट तक	10,000/-	7,500	5,000
		5001 वर्गफीट से ऊपर	15,000/-	10,000	7,500
3	लाइन	1-10 बैड	1,000/-	800	500
		11-20 बैड	1,500/-	1,200	750/-
4	होस्टल	21-50 बैड	2,000/-	1,500	1,000
		50 से अधिक बैड	2,500/-	2,000	1,500
5	लाइन	1-10 बैड	800/-	600	500
		11-20 बैड	1,000/-	800	600
6	होस्टल	21-50 बैड	1,500/-	1,000	800
		50 से अधिक बैड	2,000/-	1,500	1,000

नोट - उपरोक्त दर अनुज्ञाति के नवीकरण के लिए भी वार्षिक रूप से देय होगा।

उपरोक्त नियम-7 में विविध व्यूनता दरों के अतिरिक्त अपर गहरी रखानीय नियमों का यह अनुग्रह करता है कि शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत व्यवसायिक महलों के आधार पर क्षेत्रान्वयन व्यूनता दर से अधिक निर्धारण किया जाना अपेक्षित है तो सभी बाड़ की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करते हुए उस लागू किया जा सकता है, किन्तु ऐसा बैठक अनुच्छेद निर्धारित दर का 25% से अधिक नहीं हो।

9. सज्जा राजकारण या भारत राजकारण से मान्यता प्राप्त विद्यालय/गान्धीविद्यालय/यूनिवर्सिटी के द्वाये चलाये जा रहे होस्टलों से निवधन शुल्क नगर निगम दर में मात्र ₹ 1,000/- खण्ड नगर पारिषद क्षेत्र में मात्र ₹ 750/- लघुर्ये एवं नगर पान्डित क्षेत्र में ₹ 600/- लघुर्ये नियत होंगे। इसके अतिरिक्त, किसी व्यक्ति अथवा गैर-राजकीय ग्रामीण द्वाये सरकारी होस्टलों के लिए शुल्क नियम-7 में विवाह दर के अनुसार दर होगा।

10. जिवा गवर्नर में धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जीवा एवं होस्टल चलाया जा रहा है, उस भाग के लिए हॉलिडग दर से आदि का नियमित कार्यालय नगरपालिका अधिनियम, 2011 में विहित प्रावधान अनुसार व्यवसायिक गवर्नर के अनुरूप ही किया जायेगा।

11. तकनीकी विशेषज्ञ एवं रखारक्षा विविक्ति पदाधिकारी के जीवा एवं भारतीय उपयुक्त पारिषद या धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall)/बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जीवा एवं होस्टल के अनुज्ञाति का नवीकरण प्रत्येक बष्ट किया जा सकता।

12. अनुज्ञापत्र की बतावी समाचर होने के एक गाह पूर्व अनुज्ञापित नियम द्वारा आयोग। नियमित अवधि तक नवीकरण नहीं कराये जाने गे जिन दण्ड आयुक्त की पात्र अनुज्ञापित को नवीकरण किया जायगा।-
- (अ) एक गाह नियाम होने पर- दण्ड शुल्क रु० 500/- (प्रति रु० ३५०/-)
 - (ब) प्रत्येक तीन गाह के नियाम पर- दण्ड शुल्क रु० 2,000/- (दो हजार ३००/-)
 - (स) अनुज्ञापत्र अवधि समाचर होने के एक वर्ष तक अनुज्ञापित को नवीकरण नहीं कराये जाने पर अनुज्ञापित भवत प्रभाव से रहे समझा जायगा पूर्व उसके समाचर को पूर्णतः बंद करा दिया जायगा।
13. इन नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 03 (तीन) गाह, अन्दर अनुज्ञापित प्राप्त तथा करने पर ऐसे सभी धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल को अनाधिकृत घोषित कर सकते (सचालन) को पूर्णतः वर्त कराने को कार्रवाई को जा सकेगी। धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल सचालन पर रोक करता है पुख्ता नियमित प्राप्त विवाहकारी / नवाचारीय आयुक्त / कार्यपालक पदाधिकारी / विभाग पदाधिकारी / विभाग पदाधिकारी होगा।
14. इन नियमावली के उपचारों के अधीन हिसे गये किसी चिनाव के विरुद्ध धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल सचालन विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल सचालन को अनाधिकृत घोषित करता है सम्पत्तिकर समय पूर्व वर्त कराने की विधि में अपनी सम्बोधित प्रगड़लीय आयुक्त के सम्मान किया जायगा। इनके द्वारा अधिकतम एक गाह के भीतर आदेश पारित किया जायगा।
15. यमा अनुज्ञापित प्राप्त धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल को सूची जिला प्रशासन एवं सम्बोधित होने के शर्तों को अनुज्ञापित पदाधिकारी के रहार से व्रेष्ठित की जायेगी।
16. अनुज्ञापित पदाधिकारी स्वप्रेरणा से या शिकायत प्राप्त होना पर रवय अधिकारी द्वारा अनुज्ञापित प्राप्त धर्मशाला, विवाह भवन (Marriage Hall) / बैनकेट हॉल (Banquet Hall), जो एवं हॉस्टल निरीक्षण कर या करा सकता। निरीक्षण या क्रम में जिन प्राप्तकारी को अनुज्ञापित दिया गया है उसके प्रतिकूल माये जाने पर अनुज्ञापित पदाधिकारी अनुज्ञापत्र को रहे करते हुए सचालन को बंद करने की कार्रवाई को जा सकता। यहाँ कार्रवाई के पूर्व अनुज्ञापितारी को अपना पक्ष रखने पर युधार लाने को अपने प्रदाता किया जायगा।
17. कर्य संरक्षकर की शक्ति— यदि इन नियमों को प्रभावी बनाने विश्वेषण में लिया जाए तो कार्रवाई उत्पन्न होती है जो नगरपालिका आयोगम् 2011 के अनुच्छेदाना के अन्तर्गत इस विषय पर काई भी दिशा-निर्देश नहीं करने की शक्ति जो यह करने की होगी।

*** *** *** *** ***